भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)/Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक /E-mail: rccfbhopal@gmail.com

क्रमांक: 6-MPC 006/2009-BHO/ 1216

दि0 - 30-07-2012,

प्रति,

अपर मुख्य सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वन विभाग, वल्लभ भवन,
भोपाल ।

विषय: छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत जामई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 475 बी की 9.500 हे0 संरक्षित वनभूमि उपरितल कोयला उत्खनन हेतु महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमि0 कन्हान क्षेत्र को उपयोग पर देने बाबत् ।

→ P-183/C

संदर्भ: 1. इस कार्यालय का पत्रांक 6–एमपीसी 006/2009–बीएचओ/1142 दिनांक 23/06/2010
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं नोडल अधि0 म0प्र0 का पत्रांक एफ–1/467/08/10–11/1188 दिनांक 2/4/2012 → P-194/C
3. Officer on Special Duty Adhoc-CAMPA का पत्र क्रमांक 1–20/2010–केम्पा दिनांक 24/05/2011

महोदय,

कृपया अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, म0प्र0 के उक्त विषयक पत्रांक एफ–1/467/08/10–11/188 दिनांक 15/01/2009, समसंख्यक पत्रांक 1856 दिनांक 17/08/09 एवं समसंख्यक पत्रांक 520 दिनांक 6/3/2010 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार के अनुमोदन का अनुरोध किया गया था ।

उक्त वनभूमि के उल्लिखित उद्देश्य हेतु प्रत्यावर्तन के लिए इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र (1) द्वारा, उसमें लगायी गयी शर्तों के अधीन, सिद्धान्ततः सहमति दी गयी थी । उपरोक्त संदर्भित पत्र (2) द्वारा नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन ने उक्त शर्तों की पूर्ति का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है । अतः केन्द्र सरकार की ओर से छिन्दवाड़ा जिले के अन्तर्गत जामई वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक 475 बी की 9.500 हे0 संरक्षित वनभूमि उपरितल कोयला उत्खनन हेतु महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमि0 कन्हान क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों पर औपचारिक अनुमोदन किया जाता है :–

1. वनभूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।

2. वन विभाग द्वारा उपयोगकर्ता के खर्चे पर 19.00 हे0 अवक्रमित वनभूमि (सर्वे क्रमांक 636, परिक्षेत्र–सांवरी, जिला–छिन्दवाड़ा) पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जायेगा ।

3. उपयोगकर्ता के व्यय पर खनन पट्टा क्षेत्र का 4 फुट ऊँचे आर0सी0सी0 सीमा स्तंभों, जिन पर G.P.S. बियरिंग क्रम संख्या तथा स्तंभ से स्तंभ की दूरी लिखी होगी से सीमांकन किया जायेगा ।

.....2

(200)

4. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत इस अनुमोदन की अवधि इस कार्यालय के पत्रांक 6-MPC056/2006-BHO/1769 dated 18/07/2008 (Stage-I) की अवधि के Co-terminus होगी ।

5. इस खनन पट्टे को अन्तरण खनन हेतु किसी अन्य अभिकरण को करने के पूर्व केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।

6. वनीकरण, वन्यप्राणियों अथवा वनस्पितियों के संरक्षण तथा प्रबंधन के हित में केन्द्र शासन अथवा अपर प्रधान मुख्य वन सरक्षक, पश्चिम क्षेत्रीय, भोपाल द्वारा समय–समय पर अधिरोपित की गयी अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगां ।

7. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति व अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित विभिन्न नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के अन्तर्गत अन्य समस्त शर्तों का पालन किया जाएगा ।

8. वनभूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।

9. राज्य शासन द्वारा लगायी गयी अन्य कोई शर्त । उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा अन्य कोई शर्त लगाये जाने की स्थिति में इसकी सूचना इस कार्यालय को दी जायेगी ।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का पालन न होने की स्थिति में संबंधित वनमण्डलाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अन्तर्गत 25/10/1992 को जारी दिशा निर्देशों की कंडिका 1.9 के अनुसार राज्य शासन के माध्यम से इस कार्यालय को सूचना दी जायेगी । इन शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लघंन को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघंन मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः

1. निदेशक(एफ0सी0),पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली ।
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
3. वनमंडलाधिकारी, पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमण्डल, जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश ।
4. महाप्रबंधक, वेस्टर्न कोल फील्डस लिमिटेड, कन्हान क्षेत्र, पोस्ट डुगरिया, जिला–छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश । ।
5. आदेश पत्रावली ।

(प्रदीप वासुदेव)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

स्थानेज

अ.प्र.मु.व.सं. (भू-प्र.)
म.प्र., भोपाल

897
16-8-12